प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला भ्र.नि.ब्यू.टोंक(राज0), थाना प्र.आ.के.,भ्र0नि0ब्यूरो,जयपुर, वर्ष 2022

प्र.ई.रि.सं. 485/22 दिनांक 24/12/2022

2.–(1) अधिनियम भ्र0नि0(संशोधन) अधि0 2018 धारायें .... 7...........

(2) अधिनियम............................ धारायें ....

(3) अधिनियम........................ धारायें.................................

(4) अन्य अधिनियम एवं धारायें ....

3.–(अ) रोजनामचा आम रपट संख्या 471 समय 12:50 pm

(ब) अपराध के घटने का दिन :– शुक्रवार दिनांक 23.12.2022, समय 10.05 ए0एम0

(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक – 25.11.2022, समय 10.00 ए0एम0

4.–सूचना की किस्म :–लिखित / मौखिक लिखित

5–घटनास्थल :–

(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी – बजानिब दक्षिण–पूर्व 2 किलोमीटर चौकी हाजा ए.सी.बी.,टोंक से

(ब) पता– मांमा–भांजा की मस्जिद टोंक ....बीट सं....जरायमदेही सं.......

(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का हैं,तों पुलिस थाना ....जिला...............

6.– परिवादी / सूचनाकर्ता :–

(अ).–नाम :– **पप्पूलाल जैन पुत्र श्री स्व घासीलाल जैन जाति महाजन उम्र–57** साल निवासी–**सोहेला तह पीपलू टोक**

(ब).–राष्ट्रीयता :– भारतीय

(स).–पासपोर्ट संख्या.........................जारी होने की तिथि....................जारी होने की जगह.

(द).–व्यवसाय :– ।

7.– ज्ञात / अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :–

1. **श्री नारायण लाल सैन पुत्र श्री रामसहाय सैन उम्र 36 साल निवासी जौला** तह0 पीपलू **जिला टोंक हाल– प्लाट नं0 12 ब्रम्हानगर सैन्ट सोल्जर स्कूल के पास टोक** हाल– **पटवारी पटवार हल्का सोहेला तह0 पीपलू जिला टोक**

8.– परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इत्तिला देने में विलम्ब का कारण :– ....

9.– चुराई हुई / लिप्त सम्पति की विशिष्टिया (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावें।):– ट्रेप राशि रूपयें 5,000 / – रूपये

10.–चुराई हुई / लिप्त सम्पति का कुल मूल्य 5,000 / –रूपयें ट्रेप राशि

11.–पंचनामा / यू.डी.केस संख्या (अगर हो तो)..

12.–विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावें।)

सेवामें,

श्रीमान अति0 पुलिस अधीक्षक महोदय
ACB टोक

विषय :– भ्रष्ट पटवारी के खिलाफ कार्यवाही करने बाबत्।

महोदय,

उपरौक्त विषय मे निवेदन है कि मैं पप्पू लाल जैन पुत्र घांसीलाल जैन निवासी सोहेला का रहने वाला हूँ ग्राम सोहेला मे मेरे स्वामित्व की भूमी खसरा नम्बर 262 / 1 के पास मे गे0मु0पाल जिसके खसरा नम्बर 259 है जिसमे सीमाज्ञान के पश्चात हल्का पटवारी श्री नारायण सैन पटवार हल्का सोहेला द्वारा गलत तरीके से मुझ प्रार्थी को गे0मु0 पाल का अतिक्रमी दशर्या गया है। जिस बाबत मैने पटवारी को निवेदन किया कि मै अतिकर्मी नही हु आप सही से सीमाज्ञान करके पुनः नाप कीजिये तो पटवारी द्वारा मुझ प्रार्थी से सही सीमाज्ञान व तकासमा करने के नाम पर 1,50,000 / –रू की मांग कर रहा है। श्रीमान जी से निवेदन है कि मे ऐसे भ्रष्ट पटवारी को रिश्वत के रूप मे पैसे

नही देना चाहता हुँ। मेरी पटवारी श्री नारायण सैन से कोई व्यक्तिगत व पुरानी रंजीश नही है। मेरी रिपोर्ट पर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करे।

प्रार्थी
पप्पूलाल जैन S/O श्री घासी लाल जैन
उम्र–57 V.P.O सोहेला जिला टोक राज
9214394100

कार्यवाही पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, टोंक

दिनांक 25.11.2022 समय 10.00 ए0एम0 पर श्री राजेश आर्य अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने मन् नरेन्द्र सिह पुलिस निरीक्षक को अपने कक्ष मे बुलाया तथा परिवादी पप्पूलाल जैन पुत्र श्री स्व घासीलाल जैन जाति महाजन उम्र–57 साल निवासी– सोहेला तह पीपलू टोक से आपस मे परिचय करवाते हुये परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र देते हुये अग्रीम कार्यवाही हेतु निर्देशित किया। परिवादी पप्पूलाल जैन द्वारा पेश प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया, परिवादी ने प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि मै पप्पू लाल जैन पुत्र घांसीलाल जैन निवासी सोहेला का रहने वाला हूँ ग्राम सोहेला मे मेरे स्वामित्व की भूमी खसरा नम्बर 262/1 के पास मे गे0मु0पाल जिसके खसरा नम्बर 259 है जिसमे सीमाज्ञान के पश्चात हल्का पटवारी श्री नारायण सैन पटवार हल्का सोहेला द्वारा गलत तरीके से मुझ प्रार्थी को गे0मु0 पाल का अतिक्रमी दशर्या गया है। जिस बाबत मैने पटवारी को निवेदन किया कि मै अतिक्रमी नही हु आप सही से सीमाज्ञान करके पुनः नाप कीजिये तो पटवारी द्वारा मुझ प्रार्थी से सही सीमाज्ञान व तकासमा करने के नाम पर 1,50,000/–रू की मांग कर रहा है। श्रीमान जी से निवेदन है कि मे ऐसे भ्रष्ट पटवारी को रिश्वत के रूप मे पैसे नही देना चाहता हुँ। मेरी पटवारी श्री नारायण सैन से कोई व्यक्तिगत व पुरानी रंजीश नही है। मेरी रिपोर्ट पर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करे। प्रार्थना पत्र परिवादी पप्पू लाल जैन को पढ़कर सुनाया गया तो परिवादी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ताईद करते हुए प्रार्थना पत्र स्वयं की हस्तलेखनी में लिखा होकर स्वंय द्वारा हस्ताक्षरित होना बताया। परिवादी पप्पू लाल जैन ने दरियाफ्त पर बताया कि " मेरे स्वामित्व की भूमी खसरा नम्बर 262/1 के पास मे गे0मु0पाल खसरा नम्बर 259 है जिसकी सीमाज्ञान के पश्चात हल्का पटवारी श्री नारायण सैन पटवार हल्का सोहेला द्वारा गलत तरीके से मुझ प्रार्थी को गे0मु0 पाल का अतिक्रमी दर्शाया गया है। जिस बाबत मैने पटवारी को निवेदन किया कि मै अतिक्रमी नही हु आप सही से सीमाज्ञान करके पुनः नाप कीजिये तो पटवारी द्वारा मुझ प्रार्थी से सही सीमाज्ञान व तकासमा करने के नाम पर रिश्वत के 1,50,000/– रू की मांग कर रहा है। श्रीमान जी से निवेदन है कि मे ऐसे भ्रष्ट कर्मचारी को रिश्वत के रूप मे पैसे नही देना चाहता हुँ ऐसे कॉर्मिक के खिलाफ ट्रेप कार्यवाही कराना चाहता हूँ मेरी पटवारी श्री नारायण सैन से कोई व्यक्तिगत व पुरानी रंजीश नही है। परिवादी ने स्वयं के आधार कार्ड व जमाबन्दी की स्वप्रमाणित फोटो प्रति पेश की जो बाद अवलोकन शामिल कार्यवाही किया गया। परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र एवं मजिद दरियाफ्त से मामला रिश्वत मांग का पाया जाता है। अतः विभागीय प्रकियानुसार रिश्वत मांग सत्यापन करवाया जाकर तदानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। समय 10.25 ए0एम0 पर कार्यालय आलमारी में से सरकारी डिजीटल वायस रिकॅार्डर निकलवाकर उसमें एक खाली मैमोरी कार्ड डालकर परिवादी को डिजीटल वॉयस रिकॅार्डर के संचालन व रखरखाव की विधि की समझाईश की जाकर उचित हिदायत दी गई। परिवादी ने बताया कि मैं आज ही जाकर पटवारी नारायण सैन से रिश्वत मांग के सम्बन्ध में वार्ता करूंगा। अतः कानि0 महेश कुमार 17 को तलब कर परिवादी से आपस में परिचय करवाया गया। मांग सत्यापन वार्ता रिकार्ड करने हेतु कानि0 महेश कुमार को डिजीटल वॉयस रिकार्डर सुपुर्द कर परिवादी व कानि0 महेश कुमार को परिवादी

की स्वय की कार ब्रेजा से समय 10.30 ए.एम पर वास्ते रिश्वत मांग सत्यापन कस्बा टोंक रवाना किया जाता है। समय 11.45 ए0एम0 पर कानि0 महेश कुमार मय परिवादी पप्पूलाल जैन के उपस्थित कार्यालय आया, कॉनि ने वॉयस रिकार्डर मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द किया। परिवादी पप्पूलाल जैन ने बताया कि "**मैं व महेश कुमार जी एसीबी चौकी टोंक से रवाना होकर पटवारी नारायण सैन के निवास से पहले अनुप्रिया हॉस्पीटल टोंक के पास पहुंचे, जहां पर महेश जी ने वॉयस रिकार्डर चालू करके मुझे दे दिया तथा खुद वही आस–पास रूक गये, मैं रवाना होकर पटवारी जी के मकान पर पहुचा जहा पटवारी जी उपस्थित मिले तथा मैने पटवारी जी से मेरे काम के बाबत वार्ता की जो वायॅस रिकार्डर मे रिकार्ड है। पटवारी जी ने मेरे से 1,50,000/–रूपये की मांग की तथा मेरे द्वारा निवेदन करने पर एक लाख रूप्ये लेने पर सहमत हुये है। मैंनें बाहर आकर वॉयस रिकार्डर महेश जी को दे दिया जिन्होनें उसे बन्द करके अपने पास रख लिया। इसके बाद हम दोनों वहां से रवाना होकर एसीबी कार्यालय आये है।**" उक्त समस्त वार्ता आपके डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड हो गयी है। कानि0 महेश कुमार ने भी परिवादी के कथनों की ताईद की। कानि0 द्वारा प्रस्तुत वॉयस रिकार्डर को चलाकर सुना गया तो रिश्वत राशि मांग का सत्यापन होना पाया गया परिवादी व कानि0 के कथनों की ताईद हुयी। मन् पुलिस निरीक्षक ने डिजिटल वार्यस रिकार्डर को बंद कर स्वंय की कार्यालय आलमारी मे सुरक्षित रखा गया। परिवादी ने बताया कि " आरोपी रिश्वत राशि लेगां तभी मेरा काम करेगां, जब तक मैं उन्हें पैसे नहीं दुगां वो मेरी जमीन का सीमाज्ञान नही करेगे। पटवारी जी ने मुझे सोमवार –मंगलवार तक रिश्वत राशि देने हेतु कहा। समय 12.45 पीएम पर परिवादी पप्पूलाल जैन को रिश्वती राशि की व्यवस्था कर सोमवार–मगंलवार तक कार्यालय उपस्थित आने हेतु उचित हिदायत मुनासिब कर कार्यालय हाजा से रूखस्त किया। दिनांक 30.11.2022 समय 4.00 पी.एम पर परिवादी पप्पूलाल जैन कार्यालय हाजा पर उपस्थित आया तथा मन पुलिस निरीक्षक को अवगत कराया कि आरोपी पटवारी नारायण सैन जी आज मेरी दुकान ग्राम सोहेला पर आये थे जिन्होने मुझे 20,000/–रूपये मागे थे परन्तु मेने कहा कि अभी मेरे पास नही है कल दे दुगा। इस पर पटवारी साहब ने कहा कि मैरे फोन करने के बाद मेरे पास आना। इसलिये मै आपके पास आया हूँ आरोपी पटवारी जी मैरे से कल रूप्ये ले सकते है। समय 4.30 पीएम पर परिवादी को रिश्वत मे दि जाने वाली रिश्वती राशि लेकर कल दिनांक 01.12.2022 को प्रातः 8.00 एएम पर कार्यालय पर उपस्थित होने की हिदायत मुनासिब कर कार्यालय हाजा से रूखस्त किया गया।समय 5.00 पी.एम.पर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाहों की आवश्यकता होने से अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड टोंक के नाम तहरीर मुर्तिब कर गवाह तलब करने हेतु श्री भूपेन्द्र कुमार सहायक प्रशासनिक अधिकारी को रवाना किया गया। समय 5.45 पी.एम. पर श्री भूपेन्द्र कुमार सहायक प्रशासनिक अधिकारी अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाहों की आवश्यकता होने से अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड टोंक के श्री विनोद कुमार मीणा पुत्र श्री मोहन लाल मीणा जाति मीणा उम्र 27 साल निवासी ग्राम खोरामीणा तह0 आमेर जिला जयपुर हाल कनिष्ठ सहायक, कार्यालय जल संसाधन खण्ड, टोंक। मो0नं0 7742269754 व श्री कमलेश कुमार मीणा पुत्र श्री प्रभुदयाल मीणा उम्र 29 साल जाति– मीणा निवासी –ग्राम दोलतपुरा मीणो की ढाणी तह0 आमेर जिला जयपुर हाल कनिष्ठ सहायक, कार्यालय जल संसाधन खण्ड, टोंक मो0न0 7062718317 को दिनांक 01.12.2022 को प्रातः 7.30 ए.एम. पर भ्रनिब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित होने हेतु पाबन्द कर उपस्थित आया। दिनांक 01.12.2022 समय 8.00 एएम पर परिवादी श्री पप्पूलाल जैन कार्यालय हाजा पर उपस्थित आया तथा बताया कि मै रिश्वत मे दी जाने वाली राशि 20,000/–रूपये अपने साथ लेकर आया हूँ। समय 8.10 एएम. पर पूर्व के पाबन्दशुदा स्वतंत्र गवाह श्री विनोद कुमार मीणा पुत्र श्री मोहन लाल मीणा जाति मीणा उम्र 27 साल निवासी ग्राम खोरामीणा तह0 आमेर जिला जयपुर हाल कनिष्ठ सहायक, कार्यालय जल संसाधन खण्ड टोंक, मो0नं0

7742269754 व श्री कमलेश कुमार मीणा पुत्र श्री प्रभुदयाल मीणा उम्र 29 साल जाति– मीणा निवासी –ग्राम दोलतपुरा मीणो की ढाणी तह0 आमेर जिला जयपुर हाल कनिष्ठ सहायक, कार्यालय जल संसाधन खण्ड, टोंक मो0न0 7062718317 कार्यालय उपस्थित आये। दोनों गवाहान व परिवादी का आपस में परिचय करवाया गया। दोनो गवाहान को ब्यूरो द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के बारे में संक्षिप्त अवगत करवाकर कार्यवाही में बतौर गवाह उपस्थित रहने की सहमती चाही तो दोनो गवाह ने कार्यवाही में बतौर गवाह उपस्थित रहने की अपनी सहमती दी। परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र दिनांक 25.11.2022 गवाहान को पढाया गया तथा प्रार्थना पत्र पर गवाहान के हस्ताक्षर कराये गये। रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता से सम्बंधित डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वंय की कार्यालय आलमारी से निकाल कर चालू कर गवाहान को मांग सत्यापन वार्ता के मुख्य-मुख्य अंश सुनाये गये। गवाहान, परिवादीगण व स्टाफ का आपस में परिचय करवाया गया। रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता से सम्बंधित वॉयस रिकार्डर को स्वयं के पास ही सुरक्षित रखा गया। समय–8.45 एएम0 पर मन पुलिस निरीक्षक के पास सुरक्षित रखे गये रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता से सम्बंधित डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को कार्यालय कम्प्यूटर से जोडकर उक्त वार्ताओं को परिवादी व दोनों स्वतन्त्र गवाहान की मौजूदगी में सुन–सुन कर वार्ताओं की फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट श्री महेश कुमार कानि0 17 से टाईप करवाकर तैयार की गई।समय 11.30 एएम पर मन पुलिस निरीक्षक ने परिवादी पप्पूलाल जैन के मोबाईल फोन से आरोपी पटवारी के मोबाईल पर कॉल करवाया तो आरोपी ने परिवादी का कॉल रिसीव नही किया। इस पर परिवादी ने बताया कि पटवारी जी ने मुझ से कह रखा है कि मेरे मोबाईल पर फोन मत करना मै ही सम्पर्क कर लूगा इस लिये पटवारी जी मेरा कॉल नही उठा रहे है।समय 11.40 ए.एम रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता से सम्बन्धित मूल मेमोरी कार्ड में दर्ज वार्ता को 3 पेन ड्राईव में कॉपी कर 2 पेन ड्राईव को पृथक–पृथक सफेद कपडे की थेली में सिल्ड कर मार्क ए–1,ए–2 अंकित कर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। एक पेन ड्राईव को अनुसंधान अधिकारी हेतु लिफाफे में रखकर शामिल पत्रावली किया गया।समय 12.20 पी.एम पर रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता से सम्बन्धित मूल मेमोरी कार्ड 16 जीबी को सुरक्षित हालात में एक सफैद कपडे की थैली में सिल्ड कर मार्क "एम" अंकित कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। समय 5.30 पीएम पर परिवादी पप्पूलाल जैन को समझाईश किया गया कि जब भी आरोपी पटवारी का आपके पास कॉल आये या रिश्वत के लिये सम्पर्क करे तो कार्यालय उपस्थित आवे। तत्पश्चात परिवादी व दोनो स्वतंत्र गवाहान को उचित हिदायत मुनासिब कर मुनासिब कर कार्यालय हाजा से रूखस्त किया। दिनांक 09.12.2022 समय 10.30 एएम पर परिवादी पप्पूलाल जैन कार्यालय हाजा पर उपस्थित आया ओर बताया कि पटवारी नारायण जी का अभी तक मेरे पास फोन नही आया ना ही मेरे से सम्पर्क किया तथा मैने कॉल किया तो उन्होने मैरा कॉल नही उठाया। आरोपी पटवारी जी का मेरे पास कॉल आयेगा या मेरे से सम्पर्क करेगे तो मै आपके पास उपस्थित आ जाउगा। तत्पश्चात परिवादी को उचित हिदायत मुनासिब कर कार्यालय हाजा से रूखस्त किया। दिनांक 23.12.2022 समय 8.10 ए.एम पर परिवादी पप्पूलाल जैन कार्यालय हाजा पर उपस्थित आया तथा मन पुलिस निरीक्षक को अवगत कराया कि पटवारी नारायण सैन जी मुझे तीन दिन पहले सोहेला मिले थे तब मुझे इन्होने कहा था कि आप का सीमाज्ञान 6 जनवरी को होगा । ओर शुक्रवार को सुबह टोक मेरे पास टोकन मनी लेकर आ जाना। इसलिये मै रिश्वती राशि 20 हजार रूप्ये लेकर आया हूँ। समय 8.30 ए.एम. पर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाहों की आवश्यकता होने से प्रमुख चिकित्सा अधिकारी सआदत अस्पताल टोंक के नाम तहरीर मुर्तिब कर गवाह तलब करने हेतु श्री भूपेन्द्र कुमार सहायक प्रशासनिक अधिकारी को रवाना किया गया। समय 8.40 ए.एम पर श्री भूपेन्द्र कुमार सहायक प्रशासनिक अधिकारी अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाहों की आवश्यकता होने से प्रमुख चिकित्सा अधिकारी सआदत अस्पताल टोक के श्री रामवीर सिह

चौधरी पुत्र श्री रामगोपाल चौधरी जाति जाट उम्र 39 साल निवासी विकास विहार कॉलोनी रोडवेज डिपो के पीछे टोक हाल नर्सिग ऑफिसर सहादत अस्पताल, टोंक मो0नं0 9602223300 एव श्री राजेन्द्र कुमार बैरवा पुत्र श्री नाथूलाल बैरवा उम्र 34 साल जाति– बैरवा निवासी –मैवातीयो का बाडा जेरकिला टोंक नर्सिग ऑफिसर सहादत अस्पताल, टोंक मो0न0 8058220327 को हमराह लेकर कार्यालय पर उपस्थित आये। स्वतंत्र गवाहान व परिवादी का आपस में परिचय करवाया गया। दोनो गवाहान को ब्यूरो द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के बारे में संक्षिप्त अवगत करवाकर कार्यवाही में बतौर गवाह उपस्थित रहने की सहमती चाही तो दोनो गवाह ने कार्यवाही में बतौर गवाह उपस्थित रहने की अपनी सहमती दी। परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र दिनांक 25.11.2022 गवाहान को पढाया गया तथा प्रार्थना पत्र पर गवाहान के हस्ताक्षर कराये गये। रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता से सम्बंधित फर्द ट्रान्सकिप्ट का अवलोकन करवाया गया। गवाहान, परिवादीगण व स्टाफ का आपस में परिचय करवाया गया। समय 8.50 ए.एम पर परिवादी पप्पू लाल जैन को आरोपी को दी जाने वाली रिश्वती राशि पेश करने हेतु निर्देशित करने पर परिवादी ने अपने पास से 500–500 रूपये के 40 नोट कुल 20,000 रूपये भारतीय चलन मुद्रा के पेश किये। उक्त नोटों के नम्बर फर्द में अंकित करवाये जाकर नोटो के दोनों तरफ फिनोल्फ्थलीन पाउडर श्री भूपेन्द्र कुमार सहा0प्रशा0अधिकारी से लगवाया जाकर पाउडर लगे नोट 20 हजार रूपये आरोपी को देने के लिए परिवादी के शरीर पर पहनी हुयी पेन्ट की दाहिनी जेब की तलाशी गवाह राजवीर सिह चौधरी से लिवाई गई जैब में कोई शः नही छोडते हुए श्री भूपेन्द्र कुमार से रखवाये गये। गवाहान व परिवादी को सोडियम कार्बोनेट व फिनोल्फ्थलीन पाउडर की रासायनिक प्रकिया दृष्टान्त देकर समझाई गई। परिवादी पप्पूलाल जैन को रिश्वत लेन–देन का ईशारा अपने सिर पर लगे टोपे को हटाने के ईशारे की समझाईश की गई एवं उक्त ईशारा ट्रेप पार्टी को भी समझाया गया। उक्त कार्यवाही की विस्तृत फर्द पेशकशी व सुपुर्दगी नोट मुर्तिब कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल कार्यवाही की गई। समय 9.34 ए.एम पर परिवादी पप्पूलाल जैन को श्री महेश कुमार कानि0 17 से लेन–देन वार्ता रिकार्ड करने हेतु सरकारी वायस रिकार्डर चालू करवाकर परिवादी को सुर्पुद कर परिवादी को स्वंय की कार ब्रेजा से व महेश कानि0 व गवाह राजवीर सिह चौधरी को महेश कानि0 की मोटरसाईकिल से तथा मौ0जुनेद हैड कानि0 32 व गवाह राजेन्द्र कुमार बैरवा को मौ0 जुनैद की मोटरसाईकिल से एंव हनुमान प्रसाद हैड कानि0 74 व ईश्वर प्रकाश कानि0 256 को ईश्वर प्रकाश की मोटरसाईकिल से रवाना कर मन पुलिस निरीक्षक मय श्री राजकुमार कानि0 160 मय सरकारी वाहन बोलेरो मय चालक गणेश सिह मय तैयारशुदा ट्रेप बॉक्स,कार्यालय लेपटॉप, के परिवादी के पिछे–पिछे मांमा–भांजा मस्जिद कस्बा टोक रवाना हुआ। श्री भूपेन्द्र कुमार सहा0प्रशा0 अधि0 को उचित हिदायत कर कार्यालय छोडा गया। समय 11.00 ए.एम दर्ज रहे कि इस समय 10.05 एएम पर परिवादी श्री पप्पूलाल जैन ने अपने सिर पर लगे टोपे को हटाकर रिश्वत राशि प्राप्ति से सम्बन्धित ईशारा किया, जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान के परिवादी के पास पहुंचे, जहां पर परिवादी के साथ एक व्यक्ति कुर्सी पर बैठा हुआ था परिवादी ने मन् पुलिस निरीक्षक को वॉयस रिकार्डर सुपुर्द किया, जिसे बन्द कर सुरक्षित रखा गया। परिवादी ने उसके पास कुर्सी पर बैठे उपस्थित दुसरे व्यक्ति की ओर ईशारा कर बताया कि **''यही नारायण लाल पटवारी जी है, जिन्होंने मेरी जमीन की तकासमा व सीमाज्ञान करने की एवज में अभी–अभी मेरे से 50 हजार रूपये रिश्वत के मांग कर रिश्वती राशि 5 हजार रूपये प्राप्त अपने जाकिट की दाहिनी जैब मे रखे है।''** इस पर मन पुलिस निरीक्षक ने अपना व हमराहियान का परिचय देकर उक्त व्यक्ति से उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम श्री नारायण लाल सैन पुत्र श्री रामसहाय सैन जाति– नाई उम्र–35 साल निवासी–जौला तह0 पीपलू जिला टोंक, हाल–प्लाट नं. 12 ब्रम्हानगर सैन्ट सौल्जर स्कूल के पास टोक, हाल–पटवारी पटवार हल्का सोहेला तह0 पीपलू जिला टोक होना बताया। आरोपी नारायण लाल सैन, पटवारी को परिवादी से ली गयी रिश्वत राशि के सम्बन्ध में

पूछा तो वह चुप रहा, फिर बोला "मैनें कोई रिश्वत नहीं ली है, मुझे पप्पूलाल जी ने फोन कर चाय पीने के लिये मामा भांजा मस्जिद के पास चाय की होटल पर बुलाया था जिस पर मै इनके पास आया था तो इन्होने मुझे इनकी जमीन की सीमाज्ञान व तकासमा करने हेतु कहा ओर पप्पूलाल जी ने 5000 रूपये जबरदस्ती मेरी जाकेट की जैब मे रख दिये मेने कोई रिश्वत राशि पप्पूलाल जी से नही मांगी। जिस पर परिवादी पप्पूलाल जैन ने स्वतः ही बताया कि "नारायण लाल जी पटवारी झुठ बोल रहे है, दिनांक 25.11.2022 को पटवारी जी से इनके घर पर मिला था तब इन्होने मेरे से मेरी जमीन का तकासमा व सीमाज्ञान करने की एवज मे 1,00,000/–रूपये मांगे थे जो इस पर पटवारी जी ने मुझ से कहा था आप मेरे फोन मत करना मेरा फोन एसीबी सुनती है। मै आपको फोन करू तभी आना। पटवारी जी ने मुझे तीन दिन पहले सोहेला मिले थे तब मुझे इन्होने कहा था कि आप का सीमाज्ञान 6 जनवरी को होगा । ओर शुक्रवार को सुबह टोक मेरे पास टोकन मनी लेकर आ जाना। इस लिये मै आज आपके पास से रवाना होकर मांमा–भांजा मस्जिद के पास चाय की होटल पर पहुचा ओर पटवारी जी को फोन किया तो पटवारी जी ने थोडी देर मे आने को कहा। थोडी देर बाद पटवारी जी मैरे पास आये ओर कुर्सी पर बैठ कर मेरे से मेरे काम कराने की गारटी लेकर मुझ से 50,000/–रूपये देने हेतु कहा जिस पर मैने कहा कि 5000/रूपये तो अभी पकडो बाकी 75 हजार रहे। इस पर पटवारी जी ने मुझे कहा कि आज दिन मे 45 हजार रूपये ओर कर देना तथा शेष 30000/–रूपये 6 तारीख को कर देना। इनकी मांग के अनुसार ही मैनें अभी इन्हें 5 हजार रूपये दिये है। जो इन्होने अपने हाथो मे लेकर अपनी जाकेट की जैब मे रखे है" जिस पर आरोपी नारायण लाल पटवारी चुप रहा तथा कुछ समय सोच कर बोला कि "मैनें पैसे देने के लिए इससे जबरदस्ती नहीं करी थी इसने मेरी जिन्दगी बर्बाद कर दी, इसने मुझे मरवा दिया तथा रोने लगा" इस पर मन पुलिस निरीक्षक ने आरोपी पटवारी को पुनः तसल्ली देकर पुछा तो आरोपी पटवारी ने बताया कि करीब एक माह पहले पप्पूलाल जी मेरे घर पर आये थे तब इन्होने मेरे से इनकी जमीन की गैर मु0 पाल का सीमाज्ञान व जमीन का तकासमा करने के सम्बन्ध में बात की थी तब मैने इनको कहा था कि एक लाख रूपये लगेगे। इस लिये पप्पूलाल जी आज मेरे को फोन करके मांमा भांजा मस्जिद के पास चाय की होटल पर बुलाया था इसलिये मै इनके पास आया ओर इन्होने मुझे 5000/–रूपये दिये तब मैने कहा कि 45,000/–रूपये आज ही दिन मे दे देना फिर आपके मेरे पास 50,000/–रूपये आ जायेगे। पप्पूलाल जी से अभी मैने इनकी जमीन का सीमाज्ञान व तकासमा करने के काम के बदले मे टोकन मनी के रूप मे 5000 रूपये पप्पूलाल जी से मांग कर मेने अपनी जाकेट की दाहिनी जैब मे रखे है जो मेरे पास है मै गरीब आदमी हूँ मुझे बचा लो। परिवादी ने बताया कि " मैनें इन्हें जबरदस्ती रिश्वत नहीं दी है, अभी थोड़ी देर पहले ही पटवारी जी आये जिन्होनें मेरी जमीन का सीमाज्ञान व तकासमा करने के काम के बदले मेरे से मांग 50,000/–रूपये मागे थे परन्तु मेरे पास अभी 50,000/–रूपये नही होने पर 5 हजार रूपये इनको टोकन मनी के दिये थे तब पटवारी जी ने मुझे कहा कि आज दिन मे मुझे 45,000/–रूपये ओर दे देना फिर मैरे पास अपके काम के बदले मे 50,000/–रूपये आ जायेगे। मेरे से पटवारी जी ने 5000 हजार रूपये लेकर अपनी पहनी हुयी जाकेट की दाहिनी जैब मे रखे है। इस पर आरोपी नारायण लाल सैन पटवारी चुप रहा, कुछ नहीं बोला। इसके पश्चात् मन पुलिस निरीक्षक ने गाडी से ट्रेप बॉक्स मंगवाया जाकर दो साफ कांच के गिलासों में वहीं से साफ पानी भरवाया जाकर एक–एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार कर हाजरीन के दिखाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। उक्त तैयारशुदा घोल के एक गिलास में श्री नारायण लाल सैन पटवारी के दाहिने हाथ की अंगूलियों व अंगूठे को डूबोकर धूलवाया गया तो धोवण का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसको हाजरीन को दिखाया गया तो धोवण का रंग हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त धोवण को दो साफ कांच की शिशियों में आधा–आधा भरवाकर सिल्ड चिट कर मार्क

आर–1, आर–2 अंकित कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। कांच के दूसरे गिलास के घोल में आरोपी श्री नारायण लाल सैन पटवारी के बांये हाथ की अंगूलियो व अंगूठे को डूबोकर धूलवाया गया तो धोवण का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसको हाजरीन को दिखाया गया तो धोवण का रंग हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त धोवण को दो साफ कांच की शिशियों में आधा–आधा भरवाकर सिल्ड चिट कर मार्क एल–1, एल–2 अंकित कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। मन पुलिस निरीक्षक ने स्वतंत्र गवाह श्री रामवीर सिह चौधरी से आरोपी पटवारी की जाकेट की दाहिनी जैब की तलाशी लिवाई गई तो आरोपी की जैब से 500–500 रूपये के नोटों में लिपटे कुछ नोट निकले, जिन्हें गवाहों से गिनवाये गये तो 500–500 रूपये के 10 नोट कुल 5000/–रूपये मिले जिनका विवरण निम्नानुसार है–

1.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	6EB	921377
2.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	8EK	824712
3.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	2BU	044265
4.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	9QV	396399
5.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	5AU	120705
6.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	9QD	343357
7.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	8PP	933074
8.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	8AL	708374
9.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	5SR	603014
10.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	6KP	106271

उक्त नोटो के नम्बरो का मिलान पूर्व की मूर्तिबशुदा फर्द पेशकशी व सुपुर्दगी नोट में अंकित नम्बरों से करवाया गया तो नोटों के नम्बरों का हुबहु मिलान होना पाया गया। उक्त रिश्वती राशि को गवाह श्री राजवीर के पास सुरक्षित रखवाया तथा शेष 15 हजार रूपये के बारे मै परिवादी से पूछा तो परिवादी ने 15 हजार रूपये स्वंय के पास होना बताया जिस पर मन पुलिस निरीक्षक ने परिवादी से शेष रिश्वती राशि 15 हजार रूपये आरोपी को नही देने के सम्बंध मे पूछा तो परिवादी ने बताया कि मैने अपनी इच्छा से नही दिये केवल 5हजार रूपये ही दिये थे। परिवादी से 15000/–रूपये गवाह राजवीर को दिलवाये। जिनका विवरण निम्न प्रकार है–

1.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	3DD	167638
2.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	0FQ	291329
3.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	8RV	603417
4.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	5NR	040943
5.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	0UF	525340
6.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	1FM	301571
7.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	8BA	629044
8.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	1RR	066291
9.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	4CA	617478
10.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	2AP	358791
11.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	2TR	834495
12.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	9BB	752879
13.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	4AF	756508
14.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	6AS	257277
15.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	1RC	297523
16.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	4BB	425335
17.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	3LM	282029
18.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	1SM	639666

19.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	3FG	623142
20.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	6QE	929764
21.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	2SE	066204
22.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	4CU	960739
23.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	1BD	184486
24.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	9AG	212605
25.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	1DD	207546
26.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	4VH	995619
27.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	8AV	233046
28.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	1CG	688722
29.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	4KL	594896
30.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	5EQ	424311

उक्त रिश्वती राशि के नम्बरो का मिलान गवाहान ने पूर्व की मूर्तिबशुदा फर्द पेशकशी व सुपुर्दगी नोट में अंकित नम्बरों से करवाया गया तो नोटों के नम्बरों का हुबहु मिलान होना पाया गया। उक्त रिश्वती राशि को भी गवाह के पास सुरक्षित रखवाई गई। घटना स्थल पर मौके पर अनावश्यक भीड होने के कारण सुरक्षा की दृष्टि से आरोपी पटवारी को हमराह लेकर गवाहान, हमराहियान जाप्ता धोवण के सैम्पल व रिश्वती राशि के अग्रीम कार्यवाही हेतु कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो टोक रवाना होकर कार्यालय पहुचा। मन पुलिस निरीक्षक ने पूर्व मे गवाह श्री राजवीर के पास रखवाई गई आरोपी से बरामद रिश्वती राशि 5000/—रूपये को प्राप्त कर उक्त रिश्वती राशी के नोटों को एक कागज की चिट में सिल्ड कर मार्क—**एन** अंकित कर कागज पर सम्बधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे ब्यूरो लिये गये। इसके पश्चात गवाह के पास सुरक्षित रखी परिवादी से शेष रिश्वती राशि 15 हजार रूपये को प्राप्त कर उक्त रिश्वती राशी के नोटों को एक कागज की चिट में सिल्ड कर मार्क—**एन—1** अंकित कर कागज पर सम्बधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे ब्यूरो लिये गये। इसके पश्चात् श्री नारायण लाल सैन के शरीर पर पहनी हुयी जाकेट को ससम्मान उतरवाया जाकर दाहिनी जेब जहां से रिश्वत राशि बरामद हुयी उसके धोवण हेतु एक साफ कांच के गिलास में साफ पानी भरवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार कर हाजरीन को दिखाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। उक्त तैयारशुदा घोल में जाकेट की दाहिनी जेब को डूबोकर धुलवाया गया तो धोवण का रंग गुलाबी हो गया। उक्त धोवण को दो साफ कांच की शिशियों में आधा—आधा भरवाकर सिल्ड चिट कर मार्क **J—1, J—2** अंकित कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। उक्त जाकेट की जेब को सुखाकर जाकेट को एक सफेद कपड़े की थैली में सिल्ड चिट कर मार्क— **J** अंकित कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। आरोपी के पास मिले वीवो कम्पनी के मोबाईल मे एक एयरटेल कम्पनी की सिम नम्बर 8058069543 दूसरी जीओ कम्पनी की सिम नम्बर 8209504707 लगी हुयी है उक्त मोबाईल से कार्यवाही के दौरान वार्ता हुयी है, अतः मोबाईल को एक सफेद कपड़े की थैली में रखकर सिल्डचिट कर मार्क—**एम—1** अंकित कर कब्जे ब्यूरो लिया गया। आरोपी श्री नारायण लाल सैन को परिवादी के जमीन का सीमाज्ञान व तकासमा की पत्रावली के बारे मे पूछा तो पटवारी ने बताया कि मैरे पास इनकी कोई पत्रावली नही है इन्होने मुझे कोई प्रार्थना पत्र नही दिया केवल जुबानी कहा था कि मैरी जमीन के सीमाज्ञान व तकासमा कर दो। पप्पूलाल जैन ने अगर तहसील मे कोई प्रार्थना पत्र दिया हो तो मुझे इसकी जानकारी नही है। मैने पप्पूलाल जैन के धारा 91की कार्यवाही की थी जिसकी जांच तहसीलदार पीपलू के पास है जिसमे गै0मु0पाल का सीमाज्ञान दिनाक 06.01.2023 को करने के आदेश तहसीलदार पीपलू ने किये थे। जिसके आदेश आदेश अभी मुझे नही मिले है इसकी जानकारी मुझे तहसील के बाबू से हुयी है। इसी दौरान मन पुलिस निरीक्षक ने परिवादी के कार्य से सम्बंधित पत्रावली के लिये तहसीलदार पीपलू को जरिये टेलिफोन निर्देशित किया कि उक्त पत्रावली की प्रमाणित फोटो प्रतिया कार्यालय के सम्बधित कर्मचारी के साथ ब्यूरो कार्यालय मे अतिशीध्र भिजवावे। उक्त पत्रावली की प्रमाणित प्रतिया प्राप्त होने पर पृथक से शामिल कार्यवाही की जावेगी।समय 01.00 पी.एम पर जरिये टेलिफोन पुलिस थाना कोतवाली टोक से श्री महादेव कानि0 व श्रीमति रतनकंवर महिला कानि0 उपस्थित कार्यालय आये। मन पुलिस निरीक्षक

मय मौ0जुनैद हैड कानि 32,श्री राजकुमार कानि0160, मय महादेव कानि0 श्रीमति रतनकवर म0कानि मय स्वतत्र गवाहान मय आरोपी श्री नारायण लाल सैन मय सरकारी वाहन बोलेरो मय चालक के आरोपी के निवास स्थान प्लाट नं0 12 ब्रम्हानगर सैन्ट सोल्जर स्कूल के पास टोक के रिहायशी मकान की खाना तलाशी हेतु रवाना हुआ। समय 01.15 पी.एम पर मन पुलिस निरीक्षक मय मौ0जुनैद हैड कानि 32,श्री राजकुमार कानि0160, मय महादेव कानि0 श्रीमति रतनकवर म0कानि मय स्वंतत्र गवाहान मय आरोपी श्री नारायण लाल सैन मय सरकारी वाहन बोलेरो मय चालक के आरोपी के निवास स्थान प्लाट नं0 12 ब्रम्हानगर सैन्ट सोल्जर स्कूल के पास टोक के रिहायशी मकान पर पहुंचकर खाना तलाशी ली गयी। खाना तलाशी में किसी भी प्रकार का कोई आभुषण, प्रोपर्टी दस्तावेज या रकम नहीं मिली है, केवल दैनिक उपयोग की वस्तुऐं पायी गयी,। खाना तलाशी की फर्द मुर्तिब पृथक की गई। बाद खाना तलाशी मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान मय आरोपी मय सरकारी गाडी बोलेरो से रवाना ब्यूरो कार्यालय हुआ। समय 01.50 पी.एम पर मन पुलिस निरीक्षक मय मौ0जुनैद हैड कानि 32,श्री राजकुमार कानि0160, मय महादेव कानि0 श्रीमति रतनकवर म0कानि मय गवाहान मय आरोपी श्री नारायण लाल सैन मय सरकारी वाहन बोलेरो मय चालक के एसीबी चौकी टोक पहुचा। पुलिस थाना कोतवाली के श्री महादेव कानि0 ,श्रीमति रतनकंवर म0कानि0 को हिदायत कर कार्यालय हाजा से रूखस्त किया गया। समय 02.00 पी.एम पर आरोपी श्री नारायण लाल सैन पुत्र श्री रामसहाय सैन उम्र 36 साल निवासी जौला तह0 पीपलू जिला टोंक हाल– प्लाट नं0 12 ब्रम्हानगर सैन्ट सोल्जर स्कूल के पास टोक हाल– पटवारी पटवार हल्का सोहेला तह0 पीपलू जिला टोक ने द्वारा लोक सेवक होते हुए अपने पद एवं कर्तव्यों का दुरूपयोग कर अनैतिक लाभ प्राप्त करने हेतु परिवादी की जमीन का सही तकासमा व सीमाज्ञान करने की एवज में 1,00,000/–रूपये की मांग कर आज दिनांक 23.12.2022 को टोकन मनी के रूप मे ट्रेप कार्यवाही हेतु 20,000/– रूपये परिवादी को देकर आरोपी नारायण लाल सैन के पास भेजा जिस पर आरोपी ने 50,000/–रूपये देने हेतु कहने पर परिवादी ने 50000 रूपये मौके पर अपने पास नही होना बताया तथा आरोपी ने रिश्वती राशि 5000/–रूपये परिवादी से टोकन मनी के रूप मे ग्रहण किये तथा शेष राशि 45000/–रूपये आज ही दिन मे देने हेतु कहा। दौराने ट्रेप कार्यवाही आरोपी से 5000/–रूपये आरोपी के शरीर पर पहनी हुयी जाकेट की दाहिनी जैब से बरामद हुये तथा रिश्वती राशि के शेष 15000/–रूपये मौके पर परिवादी से प्राप्त किये। आरोपी का उक्त कृत्य अपराध धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशो) 2018 का जुर्म प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया। उपरोक्त मौतबिरान के समक्ष आरोपी को उसके उक्त जुर्म एवं संवैधानिक अधिकारों से आगाह कराते हुए हस्ब कायदा गिरफ्तार किया गया।समय 02.40 पी.एम पर मन् पुलिस निरीक्षक मय परिवादी मय स्वतंत्र गवाहान, मय कानि0 राजकुमार मय सरकारी गाडी बोलेरो मय चालक गणेश सिह के मांमा–भांज मस्जिद के पास (घटनास्थल) रवाना हुआ। घटनास्थल पहुंचकर फर्द नक्शा मौका घटनास्थल पृथक से मुर्तिब किया गया। समय 3.30 पी.एम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान के बाद मुर्तिब फर्द नक्शा मौका उपस्थित एसीबी चौकी आया। समय 3.35 पी.एम पर मन पुलिस निरीक्षक के पास सुरक्षित रखे गये रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता से सम्बंधित डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को कार्यालय कम्प्यूटर से जोडकर उक्त वार्ताओं को परिवादी व दोनों स्वतन्त्र गवाहान की मौजूदगी में सुन–सुन कर वार्ताओं की फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट श्री महेश कुमार कानि0 17 से टाईप करवाकर तैयार की गई।समय 4.45 पी.एम पर रिश्वत लेन–देन वार्ता से सम्बन्धित मूल मेमोरी कार्ड में दर्ज वार्ता को 3 पेन ड्राईव में कॉपी कर 2 पेन ड्राईव को पृथक–पृथक सफेद कपडे की थेली में सिल्ड कर मार्क बी–1,बी–2 अंकित कर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। एक पेन ड्राईव को अनुसंधान अधिकारी हेतु लिफाफे में रखकर शामिल पत्रावली किया गया। इसी दौरान मन पुलिस निरीक्षक ने गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री नारायण लाल सैन पटवारी का स्वस्थ्य परीक्षण व सुरक्षार्थ बन्द हवालात करवाने हेतु श्री मौ0जुनेद हैड कानि0, श्री राजकुमार कानि0,श्री महेश कुमार कानि0 मय सरकारी वाहन बोलेरो मय चालक के हमराह सआदत अस्पताल टोक व पुलिस थाना कोतवाली टोक तहरीर देकर रवाना किया गया। समय 05.10 पी.एम पर रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता से सम्बन्धित मूल मेमोरी कार्ड 16 जीबी को सुरक्षित हालात में एक सफैद कपडे की थैली में सिल्ड कर मार्क "एम–2" अंकित कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। इसी दौरान तहसील कार्यालय पीपलू के कर्मचारी श्री सीताराम नायक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी

तह0 पीपलू से परिवादी के कार्य से सम्बंधित पत्रावली लेकर उपस्थित कार्यालय आया जिसका मन पुलिस निरीक्षक ने अवलोकन कर शामिल कार्यवाही किया गया। समय 05.40 पी.एम पर स्वतन्त्र गवाहान व परिवादी को दौराने कार्यवाही उपयोग में ली गई पीतल की सील का अवलोकन करवाया गया तथा फर्द पर नमूना सील अंकित की गई। उपयोग में ली गई पीतल की सील को कार्यालय एसीबी टोंक के बाहर पत्थर से तुडवाई जाकर नष्ट की गई जिसकी फर्द नाशानी सील मुर्तिब की गई। इसी दोरान श्री मौ0 जुनैद हैड कानि0,श्री राजकुमार कानि0,श्री महेश कुमार कानि0 मय सरकारी गाडी बोलेरो मय चालक गणेश सिह के गिरफ्तारशुदा आरोपी नारायण लाल सैन का स्वास्थ्य परीक्षण सआदत अस्पताल टोक व सुरक्षार्थ बन्द हवालात पुलिस थाना कोतवाली टोक करवा कर प्राप्ति रसीद लेकर उपस्थित आये। समय 6.10 पीएम पर स्वतंत्र गवाह व परिवादी को मुनासिब हिदायत कर रूखसत किया गया।समय 06.15पी.एम पर रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता तथा रिश्वत लेनदेन वार्ता की सीडीयां तैयार करने के सम्बध में धारा 65बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र तैयार किया जाकर शामिल कार्यवाही किया गया। समय 06.15पी.एम पर समय मन पुलिस निरीक्षक ने पूर्व मे कार्यालय आलमारी मे सुरक्षित रखे दिनांक 1.12.2022 को सिल्डशुदा आर्टिकल्स पेन–ड्राईव मार्क–ए–1,ए–2 व मैमोरी कार्ड मार्क–एम सिल्डशुदा पैकिट व दौराने ट्रेप कार्यवाही सिल्डशुदा धोवण सैम्पल आर–1,आर–2,एल–1,एल–2, J–1, J–2 एंव सिल्डशुदा रिश्वती राशि मार्क–एन,एन–1 तथा पैन ड्राईव मार्क–बी–1,बी–2,मैमोरी कार्ड मार्क–एम–2,मोबाईल पैकिट मार्क–एम–1,जाकेट पैकिट मार्क– J इत्यादि समस्त सिल्डशुदा आर्टिकल्स जमा मालखाना श्री मौ0 जुनैद हैड कानि0 32 को सुर्पुद कर जमा मालखाना करवाया गया।

अब तक की ट्रेप कार्यवाही रिश्वत मांग सत्यापन, लेनदेन वार्ता फर्द ट्रान्सक्रिप्ट्स, रंनिंग नोट, फर्दात् से **आरोपी श्री नारायण लाल सैन पुत्र श्री रामसहाय सैन उम्र 36 साल निवासी जौला तह0 पीपलू जिला टोंक हाल– प्लाट नं0 12 ब्रम्हानगर सैन्ट सोल्जर स्कूल के पास टोक हाल– पटवारी पटवार हल्का सोहेला तह0 पीपलू जिला टोक ने लोक सेवक होते हुये अपने पद एवं कर्तव्यों का दुरूपयोग कर अनुचित लाभ प्राप्त करने हेतु अपने वैध पारिश्रमिक के भिन्न परितोषण/असम्यक लाभ प्राप्त करने के लिए परिवादी की जमीन का सही तकासमा व सीमाज्ञान करने की एवज में 1,00,000/–रूपये की मांग कर आज दिनांक 23.12.2022 को टोकन मनी के रूप मे ट्रेप कार्यवाही हेतु 20,000/– रूपये परिवादी को देकर आरोपी नारायण लाल सैन के पास भेजा जिस पर आरोपी ने 50,000/–रूपये देने हेतु कहने पर परिवादी ने 50000 रूपये मौके पर अपने पास नही होना बताया तथा आरोपी ने रिश्वती राशि 5000/–रूपये परिवादी से टोकन मनी के रूप मे ग्रहण किये तथा शेष राशि 45000/–रूपये आज ही दिन मे देने हेतु कहा। दौराने ट्रेप कार्यवाही आरोपी श्री नारायण लाल सैन पटवारी से 5000/–रूपये रिश्वती राशि शरीर पर पहनी हुयी जाकेट की दाहिनी जैब से बरामद हुई तथा रिश्वती राशि के शेष 15000/–रूपये मौके पर परिवादी से प्राप्त किये। आरोपी का उक्त कृत्य अपराध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशो) 2018 का जुर्म प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया।**

अतः उक्त आरोपी श्री नारायण लाल सैन पुत्र श्री रामसहाय सैन उम्र 36 साल निवासी जौला तह0 पीपलू जिला टोंक हाल– प्लाट नं0 12 ब्रम्हानगर सैन्ट सोल्जर स्कूल के पास टोक हाल– पटवारी पटवार हल्का सोहेला तह0 पीपलू जिला टोक के विरूद्ध धारा उपरोक्त में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमाकंन ब्यूरो मुख्यालय प्रेषित की जावेगी।

(नरेन्द्र सिह)
पुलिस निरीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, टोंक

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट, श्री नरेन्द्र सिंह, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, टोंक ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री नारायण लाल सैन, हाल पटवारी, पटवार हल्का सोहेला, तहसील पीपलू, जिला टोंक के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 485/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रतियाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

(सवाई सिंह गोदारा)
उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

कमांकः- 4128-31 दिनांक 24.12.2022
प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अजमेर।
2. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर।
3. जिला कलक्टर, टोंक।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, टोंक।

24/12/22
उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।